

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ।

क्रमांक:- 34/सामान्य/2018

दिनांक :- 6-6-18

आदेश

पूर्व में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 32/सामान्य/2018 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा माह जून 2018 में दिनांक 09.06.2018 व दिनांक 10.06.2018 को श्री विनोद कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई थी, श्री विनोद कुमार गुप्ता के दिनांक 09.06.2018 व 10.06.2018 को मुख्यालय से बाहर होने के कारण उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 09.06.2018 व 10.06.2018 को श्री विनोद कुमार गुप्ता के स्थान पर श्री राजेश गजरा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया मो. 9024798489 की रिमाण्ड, जमानत एवं प्रोटोकॉल आदि आवश्यक कार्य हेतु ड्यूटी लगाई जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

क्रमांक:- 1048

दिनांक:- 6.6.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा/संगरिया/नोहर/हनुमानगढ।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ/टिब्बी/पीलीबंगा/रावतसर/नोहर/भादरा
4. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ।
6. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ को प्रेषित कर लेख है कि हनुमानगढ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करे।।
7. प्रभारी अधिकारी वायरलैस केन्द्र हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि हनुमानगढ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
8. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को हनुमानगढ न्यायक्षेत्र की वैबसाईड पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
9. आदेश/संबंधित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ।